प्रेस नोट ***दिनांक 04.11.2025***

आज दिनांक-04.11.2025 को कार्तिक पूर्णिमा अवसर पर लगने मेला के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले राम घाट का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं व दुकानदारों को कोई असुविधा न हो । निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों, घाट पर सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी घोसी, प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में थाना हलधरपुर पुलिस को दिनांक 04.11.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0स0 361/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त दयाशंकर चौहान पुत्र स्व0 गणेश चौहान निवासी मऊकुबेर थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AV 3521 बरामद कर गिरफ्तार तथा चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. दयाशंकर चौहान पुत्र स्व0 गणेश चौहान निवासी मऊकुबेर थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 361/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ .

बरामदगी-

1. चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AV 3521

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1. ऊ0नि0 अजय कुमार बर्नवाल थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. हो0 का0 मो0 ताबीस थाना हलधरपुर जनपद मऊ .

फास्ट टैग के नाम पर किये गए फ्राड का 52499 /- (बावन हजार चार सौ निन्नानवे) रुपये थाना दोहरीघाट द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये फास्ट टैग के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 52499 (बावन हजार चार सौ निन्नानवे) रुपये आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक अम्बरीष राय पुत्र कृष्ण कुमार राय जनपद मऊ का कुल 25499 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 निरीक्षक श्री आ0 के0 सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. क0आ0 सुनील कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 अमित मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 चन्दन कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. म0का0 रेखा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

चोरी के अभियोग में नामजद वांछित व 15000 रुपये का पुरस्कार घोषित ईनामिया अभियुक्त के विरूद्ध 84 बी0एन0एस0एस0 (82 सीआरपीसी) की आदेशिका चस्पा की गयी।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में मुकदमो मे वांछित अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये अभियुक्त सफीउद्दीन उर्फ छोटू पुत्र नियमतुल्लाह निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ जो एक शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय से 84 बी0एन0एस0एस0 (82 सीआरपीसी) की आदेशिका जारी की गयी थी, आज दिनाँक 04.11.2025 को उ0नि0 कैलाश जायसवाल, उ0नि0 राहुल कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त के घर **खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ** में पहुंचकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका के तामिला के क्रम में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के घर पर चस्पा की गयी।

चस्पा करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 कैलाश जायसवाल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 राहुल कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. हे0का0 राजेन्द्र सिंह बादल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. हे0का0 अमित जायसवाल , थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्ता को अजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश ए0 एस0 जे0/पाक्सो प्रथम मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-11-2025 को मु0अ0सं0 22/2020 धारा 302 भादवि0, घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्ता रिंकी निषाद पुत्री सरदारी निवासी पकड़ी बुर्जुग थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए अजीवन कारावास कारावास की सजा एवं ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री विमल कुमार श्रीवास्तव (एपीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद कुमार थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश ए0 एस0 जे0/पाक्सो प्रथम मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-11-2025 को मु0अ0सं0 23/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्ता रिंकी निषाद पुत्री सरदारी निवासी पकड़ी बुर्जुग थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष का कारावास की सजा एवं ₹5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री विमल कुमार श्रीवास्तव (एपीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद कुमार थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा सायंकाल दिनांक 04.11.2025 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दिपावली/ दीप महोत्सव त्यौहार के दृष्टीगत शीतला माता मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया तथा यहां आने वाले श्रद्धालुओं व दुकानदारों को कोई असुविधा न हो । निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।